

FORM NO. III

फर्दअहकाम




(नियम- 26)

अज अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),सिवाना

वादी/वादीगण	बनाम	प्रतिवादी/प्रतिवादीगण
1 हस्तीमल पुत्र खेमराम जाति राजपुरोहित निवासी समदड़ी स्टेशन तहसील समदड़ी जिला बालोतरा वगैरा		1 विरदीचंद पुत्र सोनाराम जाति पुरोहित निवासी समदड़ी स्टेशन तहसील समदड़ी जिला बालोतरा वगैरा (26) 27 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी जिला बालोतरा

किस्म मुकदमा.....धारा 188 RT Act.

मुकदमा नंबर:-114/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.09.2024	<p>वादी हस्तीमल की ओर से वकील श्री कपिल श्रीमाली ने यह वाद पत्र प्रतिवादी विरदीचंद वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 07.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना </p>	
07.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी संख्या 3 मय वकील उपस्थित। वादी संख्या 3 मय वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त धाराजी के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत हो गयी है। अतः वे वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते हैं एवं वाद जरिये विझे खारिज करवाना चाहते हैं। हमने वादी संख्या 3 मय वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद, वादी संख्या 3 मय वकील के प्रार्थना पत्र पर विझे खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होकर दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना </p>	<p style="text-align: center;">  </p>

